[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.   32/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख   7 अगस्त, 2020

सा.का.नि......(अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि.सं. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सूची 32 में, मद संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात;

“(13) कुडनकुलम परमाणिवक शक्ति परियोजना – 5 और 6 (1000 मेगावाट x 2)”|

(फा. सं. 354/60/2020-टीआरयू)

(जे.एस. कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 50/2017 – सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. सं. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 27/2020–सीमा-शुल्क, तारीख 9 जून, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 358(अ), तारीख 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई ।